

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

काख जाट (वगैरे) बनाम अमना जाट (वगैरे)

किरम मुकदमा

प्रा-५७

111-128

नं०

100

सन् 2020

नांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

6-20

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28-7-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-8-20

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।

5-8-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

9-20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. पठ किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विकरै एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं वकील प्रार्थीगण ने बटस

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिरायत्त जज

नंबर व
उहनाम व
द्वारा के
वकील का

करनी चाही, वकील प्रार्थोगन की बहस
सुनी गयी। वकील प्रार्थोगन का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.
पठ किया गया। पत्रावली फंसेल शुमार होकर
नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीतवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 100/20 प्रा.पञा

1- श्री कालूदा० श्री किशनलाल जाट निवासी. कैरियाखेडा 3फ अखैपुरा
तहसील-माण्डल [वर्ग 1]

-प्रार्थी

वनान

1- श्री जामनादा० श्री रामचन्द्र जाट निवासी. कैरियाखेडा 3फ अखैपुरा
तहसील-माण्डल [वर्ग 1] पृष्ठोक्ति प्रा.पञा सलग्न

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कैरियाखेडा 3फ अखैपुरा पटवार हल्का चारखेडा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 676, 687, 688, 689 कुल किता 0.4 रकबा 27 बीघा 11 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.06.20 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह यात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरियाखेडा 3फ अखैपुरा पटवार हल्का चारखेडा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 676, 687, 688, 689 कुल किता 0.4 रकबा 27 बीघा 11 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चारखेडा 1400/- पये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये ब्रते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

तेलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा